

स्पाइसेस बोर्ड

गांधी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर

अहमदाबाद में

29 फरवरी 2016

को सम्पन्न

82 वीं बैठक का कार्यवृत्त

सुगंध भवन

पालारिवट्टम

कोचिन-682 025

स्पाइसेस बोर्ड की 82 वीं बैठक गांधी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर, अहमदाबाद में 29 फरवरी 2016 को सायं 3.00 बजे संपन्न हुई।

डॉ.ए.जयतिलक आई ए एस, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

- 1) श्री भास्कर शाह, उपाध्यक्ष
- 2) श्री बी.एम. मुनिराजू
- 3) श्री ई.एम.अगस्ती
- 4) डॉ.विजु जेकब
- 5) श्री जोजो जॉर्ज
- 6) श्री खोरलो भूटिया
- 7) डॉ. एम. आनंदराज
- 8) श्री रवेला गोपालकृष्णा
- 9) श्री नागराजन, निदेशक, सी एफ टी आर आई, मैसूर का प्रतिनिधि
- 10) श्री जिया-उद-दीन अहमद
- 11) सुश्री अनीता कारणवर
- 12) डॉ. एन.सी.साहा
- 13) श्री अंजो . टी. जोस
- 14) डॉ. मात्यू सामुवेल कलरिक्कल

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई:

- 1) श्री एस.तंकवेलु, माननीय सांसद [राज्य सभा]
- 2) श्री बी.एस. येद्यूरप्पा , माननीय सांसद [लोक सभा]

- 3) श्री प्रताप सिंहा, माननीय सांसद [लोक सभा]
- 4) सुश्री अनीता कर्ण , निदेशक, बागवानी, वाणिज्य मंत्रालय
- 5) श्री रूपा दत्ता आई ई एस, निदेशक (वित्त), वाणिज्य मंत्रालय
- 6) श्रीमती विजयलक्ष्मी, फलदा अग्रो रिसर्च फाउंडेशन्स प्रा. लि., बेंगलोर

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे ;

- 1) श्री डी.वी.राजीव मोहन, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड, कोलकाता
- 2) निदेशक, नीति आयोग, नई दिल्ली
- 3) श्री कुमारलाल एम. तहिलियानी, साझेदार, मेसर्स एशियन फूड इंडस्ट्रीस, गुजरात
- 4) सचिव (बागवानी) , आंध्रप्रदेश सरकार
- 5) सचिव (बागवानी), उत्तरप्रदेश सरकार
- 6) श्री हतोबिन माई, मुख्य मंत्री के विशेष ड्यूटी पर, अरुणाचल प्रदेश सरकार
- 7) श्री षकील अहमद, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
- 8) श्री अजित तोमस, ए वी टी मैक-कोर्मिक इंग्रेडियन्स प्रा.लि., चेन्नई

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

- 1) श्री एस.कण्णन , निदेशक (विपणन) व प्रभारी सचिव
- 2) सी ए के.सी.बाबु , निदेशक(वित्त)
- 3) श्री एस.सिद्धरामप्पा , निदेशक (विकास)
- 4) डॉ.वाई.एस. राव, प्रभारी निदेशक (अनुसंधान)

सर्वप्रथम अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने अहमदाबाद में विश्व मसाला कॉंग्रेस 2016 एवं 82 वीं बोर्ड बैठक में भाग लिया। उन्होंने प्रारम्भ में, सरकार द्वारा पण्य बोर्डों को 2016-17 की अवधि के लिए बजट आबंटन में लगभग 30% कटौती के बारे में संक्षेप में बताया ।

मद सं.1: गान्तोक में 19 दिसंबर 2015 को सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 81 वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्ठीकरण

चूंकि सदस्यों से 81 वीं बैठक पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, बोर्ड ने कार्यवृत्त की पुष्ठी की।

मद सं. 2 : 19 दिसंबर 2015 को सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 81 वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

अन्य चर्चाओं पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करते वक्त, सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव रखे गए:

- 1) सदस्यों ने 20 व 21 जनवरी 2016 के दौरान कुमिली में मसालों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने में बोर्ड की सराहना की।
- 2) सिक्किम सरकार से गान्तोक में स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु स्पाइसेस बोर्ड को चार एकड़ की ज़मीन जल्दी ही हस्तांतरित करने का अनुरोध किया ।
- 3) सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को विश्व मसाला कॉंग्रेस 2016 के सफल आयोजन हेतु साधुवाद दिया, जिसमें करीब 800 घरेलू और 34 राष्ट्रों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- 4) बोर्ड से सदस्यों ने इलायची में हरा रंग मिलाने से हो रही समस्या पर व्यापक प्रचार अभियान चलाने का और ऐसी करनी, जो वाणिज्यिक ड्रायर्स के प्रयोग के दौरान अक्सर होती है, पर कदम उठाने हेतु एफ़ एस एस ए आई को चौकस करने का भी अनुरोध किया।

मद सं. 3: बड़ी इलायची कृषकों के लिए योजना - 2015-16

बोर्ड ने बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों के बीच स्वस्थ होड को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार वर्ष 2015-16 के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कृषकों को चुनने और पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दो नामितियों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया गया।

प्रथम पुरस्कार

श्री समतेन लेप्चा
अप्पर हीग्यातांग,
हीग्यातांग पी.ओ.
लोवर जांगु
नॉर्थ सिक्किम
सिक्किम

2179 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

द्वितीय पुरस्कार

श्री हस्ता बहादुर मांगार
शेरप्पा गाँव बस्ती
लावा पी.ओ.,
कालिंपोंग, दार्जीलिंग जिला
पश्चिम बंगाल

1616 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

द्वितीय पुरस्कार (महिला कृषक)

श्रीमती चमदेन भूटिया
नामोक बस्ती
नामोक पी.ओ.,
नॉर्थ सिक्किम
सिक्किम

1511 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

योग्यता प्रमाणपत्र

श्री हरका मान खवास
सुरुक बस्ती
तोड़ेय पी.ओ.
कालिंपोंग, दार्जीलिंग जिला
पश्चिम बंगाल

1161 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

श्री चन्द्रा बहादुर छेत्री
हीपताल बस्ती
हीगांव पी.ओ.
पश्चिम सिक्किम, सिक्किम

937 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

मद सं. 4 : छोटी इलायची कृषकों के लिए पुरस्कार योजना

बोर्ड ने केरल और तमिलनाडु के लिए मूल्यांकन समितियों के सिफ़ारिशानुसार 2015-16 अवधि के लिए छोटी इलायची में उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा ली गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया।

प्रथम पुरस्कार

श्री सी एम मात्यू

चेंगतइत्तिल एस्टेट

प्लामला, कल्लार-वट्टियार पी.ओ.

इडुक्की जिला, केरल

6800 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

द्वितीय पुरस्कार

श्री वसंत कुमार

लुम्बिनी, बसवा मंदिर के पास

बाई-पास रोड, चिकमगलूर

कर्नाटक

2878 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

द्वितीय पुरस्कार (महिला कृषक)

श्रीमती सोनिया मेनुविन

मुंडप्लाक्कल, अय्यप्पनकोविल पी.ओ.

मेरिकुलम, इडुक्की जिला

केरल

2300 कि.ग्रा./हे.[सूखी]

निदेशक (विकास) ने आवेदक को चुनने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताया और यह बात स्पष्ट की कि कृषकों को उत्पादकता के आधार पर पुरस्कार हेतु चुन लिया गया है, न कि उत्पादित इलायची की गुणवत्ता के आधार पर। सदस्यों ने फसल कटाई के दौरान पुरस्कार विजेताओं को चुनने का और अधिक आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रेस विज्ञापन निकालने का सुझाव किया। बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 5 एम आई डी एच के अधीन कुमिली में मसालों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट

सदस्यों ने 20-21 जनवरी 2016 को कुमिली में मसालों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए सराहना की और पैकिंग के महत्व पर ध्यान देते हुए भविष्य में आयोजित होनेवाले संगोष्ठियों में पैकेजिंग पर भाषण देने हेतु आई आई पी को भी बुलाए जाने का सुझाव दिया।

सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से आई सी आर आई, मैलाडुंपारा में पर्णविश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुरोध किया और छोटे किसानों को उचित सलाह देने हेतु कृषकों के क्षेत्र में पर्ण/मृदा नमूनों के संग्रहण हेतु एक मोबाइल मसाला क्लिनिक स्थापित करने का भी अनुरोध किया। आगे यह भी बताया गया कि जांच प्रत्येक किसान आधारित हो और स्थान-विशेष जांच प्रत्येक सीजन में मृदा पी एच और सूक्ष्म पोषकों के लिए अपेक्षित है।

मद सं. 6: मसाला विकास अभिकरण (एस डी ए) की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट

बोर्ड ने मसाला विकास अभिकरणों की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट नोट की।

मद सं. 7: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा लिए गए कदम

बोर्ड ने भारत सरकार की "लुक ईस्ट " नीति के तहत और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों को अमल में लाने में अध्यक्ष महोदय द्वारकी गई कार्रवाई की प्रशंसा की।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सिक्किम से उत्पादित जैव मदों के लिए "सिक्किम ओरगानिक" लॉगो डिजाइन किया जिसका लॉचिंग जैव राज्य के रूप में सिक्किम को घोषित करने के अवसर पर 18 जनवरी 2016 को आदरणीय सिक्किम मुख्यमंत्री और मंत्री गणों व पदाधिकारियों की उपस्थिति में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल तौर पर किया था। स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यातकों को अपने उत्पाद सीधे बिकने हेतु सिक्किम कृषकों को सुकर बनाने के लिए क्रेता -विक्रेता भेंट (बी एस एम) का आयोजन किया और 19 जनवरी 2016 से 20 जनवरी 2016 तक आयोजित जैव उत्सव के दौरान बोर्ड के स्टॉल के ज़रिए अपने तरह-तरह के उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु एक मौका मुहैया किया। देशभर के करीब 40 मसाला कृषकों व 22 निर्यातकों / व्यवसायियों ने क्रेता-विक्रेता भेंट में भाग लिया, जिसने बिचौलियों को हटाते हुए निर्यातकों / व्यापारियों के साथ सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित करने में

सिक्किम के मसाला कृषकों को एक मंच प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त स्टाफ को नियुक्त किया गया है और आश्वासन दिया कि बोर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों को जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के वास्ते, उत्तर पूर्व को नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा-अवधि किसी भी मामले में दो सालों से कम नहीं की जाएगी।

मद सं. 8: मसालों व मसाले उत्पादों की जांच को विश्वसनीय तौर पर आउट सोर्सिंग हेतु प्रचालन-सुरक्षण विकसित करने के लिए प्रस्ताव: भविष्य की नियामक अपेक्षाओं का सामना करने हेतु एक उपक्रमात्मक अभ्यास:

1. अध्यक्ष महोदय ने जांच एवं पैरामीटरों की संख्या जिसकी जांच कराना अपेक्षित है, की बढ़ती ज़रूरत की व्याख्या की और बढ़ती ज़रूरत की पूर्ति हेतु प्रयोगशालाओं को सज्जित करने की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने आगे बताया कि प्रस्ताव केवल सुरक्षण उपाय है और बोर्ड जांच करने हेतु चुनी गई प्रयोगशालाएँ, एन ए बी एल प्रत्यायनवाली स्पाइसेस बोर्ड की प्रयोगशालाओं की जैसी होंगी। चूंकि बोर्ड विश्लेषण की गुणवत्ता और जांच-परिणामों व अन्य पक्ष प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है, बोर्ड नमूनन और प्रमाणन पर पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हर तरह की सावधानी बरतेगा जिसमें एक कोडिंग प्रणाली के ज़रिए नमूनों के अन्य विवरण व पार्टी के नाम को स्पष्ट न किया जाना भी शामिल है।

उपर्युक्त पर एक विस्तृत-चर्चा के बाद, बोर्ड ने मसालों व मसाले उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं को आउटसोर्सिंग हेतु एक पाइलेट अध्ययन कार्य के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

मद सं. 9: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 10: अप्रैल-अक्टूबर 2015 के दौरान मसालों के निर्यात की समीक्षा

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 11: कोलकोत्ता, काण्डला एवं मुंबई में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं.12: देश के मसाला पार्कों की स्थिति व अवस्थिति

बोर्ड ने देश के मसाला पार्कों की स्थिति नोट की।

मद सं.13: स्पाइसेस बोर्ड (भर्ती)विनियम 2010 में सुधार

उपर्युक्त विषय पर प्रस्तुत विवरणानुसार, नियुक्ति / पदोन्नति प्रदान करने हेतु अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक एवं सहायक निदेशक(प्रशासन) के भर्ती नियम में लाए संशोधन का बोर्ड ने अनुमोदन किया।

निदेशक(अनुसंधान) एवं निदेशक(वित्त) के पद को सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों से भरने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए निदेशक(अनुसंधान) एवं निदेशक(वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम में पात्रता प्रतिमान, भर्ती का तरीका एवं संशोधन का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्य निर्णय:

अध्यक्ष महोदय से सदस्यों ने इलायची के आरक्षित कीमत को स्थिर करने के संबंध में अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि किसान चाहते हैं कि बोर्ड इलायची खरीदे, लेकिन सरकार ने अपेक्षित निधि का आबंटन नहीं किया है। अतः बोर्ड को उक्त का कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं होगा।

काण्डला पत्तन के ज़रिए निर्यातित नकली/मिलावटी जीरा बीज के संबंध में, सी एफ़ टी आर आई के प्रतिनिधि श्री नटराजन ने संदूषण/अपमिश्रण पहचानने हेतु आई आर सेंसर के ज़रिए जीरा बीज की जांच हेतु सुझाव किया। अतः, श्री भास्कर शाह को उचित जांच चलाने के लिए विविध नमूने भेज देने को कहा गया।

श्री करलो भूटिया ने बोर्ड को सिक्किम में कार्यान्वित की जा रही आई सी आर आई / एन आर सी जैव खेती योजना के बारे में सूचित किया। उन्होंने मानवशक्ति के खर्च को कम करने हेतु एन आर सी से संपर्क करने और बोर्ड के साथ उपलब्ध अवसंरचना से लाभ उठाने का सुझाव किया। तदनुसार, निदेशक(अनुसंधान) से एन आर सी के अधीन अनुसंधान प्रभाग को लाने सहित एन आर सी से मिलकर काम करने की संभावना के बारे में पता करने को, कहा गया।

यह भी सुझाया गया कि मसालों में भारतीय अनुसंधान के जांच परिणामों व उपलब्धियों की अगली विश्व मसाला कॉंग्रेस में प्रस्तुति की जाए।

अंत में, सभी सदस्यों ने एक और बार विश्व मसाला कॉंग्रेस की सफलता पर अध्यक्ष महोदय को बधाई दी जिसमें अच्छी प्रतिभागिता, प्रस्तुति, क्रेताओं के साथ मेल-मिलाप रहे और भारतीय मसाला उद्योग के विकास हेतु बहुत ही उपयोगी पाया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि निर्यातकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले वर्तमान उपाध्यक्ष की समयावधि पूरी हो चुकी है और अगले उपाध्यक्ष को कृषकों के प्रतिनिधियों में से चुन लिया जाना है। तदनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों ने उपाध्यक्ष के रूप में एडवोकेट ई एम अगस्ती को सर्वसम्मति से चुन लिया ।

स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने नए उपाध्यक्ष के रूप में एडवोकेट ई एम अगस्ती का स्वागत किया और बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में मसाला उद्योग को प्रदत्त अपने योगदान के लिए श्री भास्कर शाह को धन्यवाद अदा किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपनी सक्रिय प्रतिभागिता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और बैठक समाप्त हुई।
